केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary – Led - Construction) का योजना अभिलेख

अभिलेख सं०: .... 2015 – 16 लाभुक पासबुक सं०: .... Name of ULB: Financial Year : Project Code: Beneficiary Code: UID No. : Voter Card No. : Beneficiary Bank Detail: Name of Bank : Branch Name : Account Number: IFSC Code : लाभुक श्री/ श्रीमती/ सुश्री....................... पिता/ पति..................... लिंग............ उम्र............. निवासी .... मुहल्ला.................. वार्ड सं०	लाभुक का फोटो

1. यह योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति, झारखण्ड सरकार तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
2. यह योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तपोषित है।
3. उपरोक्त लाभुक इस योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। अतः श्री/ श्रीमती/ सुश्री....................... पिता/ पति..................... को योजना के लिए योग्य मानते हुए वित्तीय वर्ष - .... के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत एकल गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की जाती है। लाभुक इस योजना के अन्तर्गत अपने भूमि जो मौजा .... खाता सं० .... खसरा सं० .... प्लौट सं० .... थाना सं० .... जिला .... में अवस्थित है, आवास का निर्माण करेंगे। भूमि के दस्तावेज की छायाप्रति लाभुक द्वारा समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि लाभुक का स्वयं का है एवं लाभुक के पूर्ण स्वामित्व में है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है।
4. आधारभूत संरचना की स्थिति (कृप्या सही प्रकोष्ठ में √ करें) :

   a. पेयजल : [Y] [N] b. शौचालय : [Y] [N] c. विद्युतीकरण : [Y] [N]
5. **पात्रता**

   5.1 योजना के अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस सहायता को प्राप्त करने का पात्र होगा।

   5.2 लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कट – ऑफ – डेट दिनांक 17-06-2015 के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/ स्लम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।

   5.3 लाभुक की स्वयं की जमीन होना अनिवार्य है।

   5.4 पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजनाओं का लाभ लिये हुए लाभुक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

   5.5 लाभुक कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी का होना चाहिए जिसकी वार्षिक आमदनी Rs. 3,00,000/- से कम होगी।

6. शर्तें:

6.1 लाभुक का Voter कार्ड होना अनिवार्य है।

6.2 लाभुक का बैंक एकाउन्ट होना अनिवार्य है।

6.3 लाभुक को पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।

6.4 लाभुक/ लाभुक के परिवार की वार्षिक आय रु० ..../- (रुपया .... मात्र) है।

6.5 परिवार की विवाहित महिला के नाम से आवास आवंटित होगा। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं है तो, पुरुष सदस्य के नाम से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

6.6 इस योजना अन्तर्गत लाभुक भूमि की उपलब्धता के आधार पर लगभग 30 वर्ग मी० Carpet Area का आवास निर्मित किया जाना है। आवास का एक नक्शा प्रारूप (Model Drawing) जो 28.42 वर्ग मी० Carpet Area का है (Annexture–I) एवं प्रारूप प्राक्कलन (Model Estimate) (Annexture–II) जो रु० 3,62,100/- (रुपया तीन लाख बासठ हजार एक सौ मात्र) का है, अभिलेख संग संलग्न है।

6.7 इस योजना अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवास के लिये सरकार द्वारा लाभुक को कुल रु० 2,25,000/- (रुपया दो लाख पचीस हजार मात्र) सहायता राशि दी जायेगी।

6.8 लाभुक को स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रु० 12,000/- (रुपया बारह हजार मात्र) की सहायता राशि दी जायेगी। जो लाभुक पूर्व में शौचालय निर्माण के लिये सहायता प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

6.9 लाभुक को योजना राशि का भुगतान लाभुक के खाते में RTGS/ DBT के द्वारा किया जायेगा। लाभुक को योजना राशि का भुगतान 4 किस्तों में (20%, 30%, 20% एवं 30%) निम्नवत् किया जायेगा :

6.9.1 प्रथम किस्त का भुगतान लाभुक द्वारा नींव खुदाई के बाद दिया जायेगा। प्रथम किस्त रु० 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) की राशि Plinth Level तक निर्माण हेतु देय होगी।

6.9.2 द्वितीय किस्त रु० 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) की राशि Plinth Level से Lintel Level तक निर्माण हेतु देय होगी।

6.9.3 तृतीय किस्त रु० 45,000/- (रुपया पैंतालिस हजार मात्र) की राशि Lintel Level से Roof Level तक निर्माण हेतु देय होगी।

6.9.4 चतुर्थ एवं अंतिम किस्त रु० 67,500/- (रुपया सरसठ हजार पांच सौ मात्र) की राशि आवास के Finishing कार्य हेतु देय होगी।

6.10 लाभुक द्वारा आवास का निर्माण कार्य योजना स्वीकृत होने की तिथि से 240 दिन (8 माह) के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

6.11 आवास निर्माण का भौतिक सत्यापन एवं MIS के Up-date के पश्चात् ही प्रथम से चतुर्थ किस्त की राशि देय होगी।